28.10.2024 पत्रावली पेश हुई।
न्यायालय समय मे प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के नाम अलग-अलग समय में तीन बार आवाजे दिलाई गई। परन्तु कोई हाजिर हाजिर नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में इसी स्तर पर आरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), वाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.10 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested